



### कार्यालय आदेश

एतद्द्वारा आदेशानुसार समस्त सम्बन्धित महाविद्यालय को सूचित किया जाता है कि वार्षिक परीक्षा सत्र 2017-18, 2018-19 एवं समस्त सेमेस्टर परीक्षा सम/विषम जिस महाविद्यालय को भुगतान नहीं हुआ अथवा अवशेष धनराशि हैं। ऐसे महाविद्यालय को निदेश दिया जाता है कि वह अपना परीक्षा केन्द्र व्यय भुगतान पत्रक दिनांक 25.07.2020 तक अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करा दे, अन्यथा कि स्थिति में पत्रावली पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

7/7/20  
(प्रभाष द्विवेदी)  
का०परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :

1. प्राचार्य/प्राचार्या सम्बन्धित महाविद्यालय /परीक्षा केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. एजेंसी को इस आशय से प्रेषित, कि उक्त कार्यालय आदेश सम्बन्धित समस्त महाविद्यालय की पर लॉगिन अपलोड करने का कष्ट करें।
3. निजी सचिव कुलपति जी, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
4. वैय० सहायक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक।

(प्रभाष द्विवेदी)  
का०परीक्षा नियंत्रक